पिस्टल अड़ाकर लिए 10-10 लाख के तीन चेक

बातचीत के बहाने बुलाकर बनाया बंधक, चार पर एफआईआर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21अप्रैल. बातचीत के बहाने बुलाकर बदमाशों ने एक युवक को बंधक बना लिया, जिन्होंने पिस्टल की नोंक पर साइन करवाकर दस दस लाख के दो चेक ले लिए। घटना हजीरा इलाके की है। जिसमें पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

कुंजविहार कॉलोनी निवासी किशोरकांत त्यागी ने हजीरा थाने में शिकायत की है कि ओमकार सिकरवार उर्फ भूरे ने उसे कॉल करके कहा कि सोनू राठौर के लेनदेन के विषय में बात करनी है, तुम मेरे पीताम्बरा धर्मकांटे पर आ जाओ। इस पर मैं धर्मकाटे पर पहुंच गया, तो ओमकार सिकरवार व गौरी यादव उसे ऊपर अपने ऑफिस में ले गए, जहां पहले से ही पांच छह लोग बैठे थे। वहां पहुंचते ही ओमकार सिंह गाली-गलौज करते हुए कहने लगा कि आज तू फंसा है, अब तू यहां से जिन्दा नहीं जाएगा। फिर वह मुझसे शराब मंगवाने को कहने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होने ने एक युवक को शराब की दुकान पर पहुंचाकर फोन पे का क्यूआर कोड मेरे फोन पर भेजा और उस पर पेमेंट करने को कहने लगे। मैंने अपने बेटे आर्यन त्यागी से 1500 रुपए उस अकाउंट में डलवा दिए। इससे वह शराब मंगवाकर पीने लगे। **बेटे से मंगवाकर दिए चेक:** फरियादी ने बताया कि बदमाशों ने पिस्टल अड़ाकर उस पर चेक मंगवाने को कहा, तो डरकर उसने अपने बेटे को कॉल करके 10-10 लाख के तीन चेक मंगवाए, जिन पर जबरन साइन करवाकर आरोपियों ने ले लिए। उसके विरोध करने पर उन्होंने उसकी मारपीट कर डाली। चेक लेने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए उसे छोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा ओमकार सिंह सिकरवार सहित गौरव उर्फ गौरी यादव, इंद्रपाल सिंह तोमर व जितेंद्र सिंह सिकरवार को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 127(2), 308(4), 115(2), 296 (बी) व 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल आरोपी फरार बने हुए हैं।

अश्लील हरकत करते हुए रिवॉल्वर मुंह में घुसेड़ दी

फरियादी के मुताबिक शराब पीने के दौरान ओमकार सिंह उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। इसका वीडियो बनवा लिया, फिर उसने रिवॉल्वर मेरे मुंह में घुसेड़कर बोला, कि जैसा मैं कहूं, वैसा बोल, नहीं तो जान से खत्म कर कर दूंगा। फिर उन्होंने मेरा वीडियो बनाते हुए सोनू राठौर के लिए मुझसे गालियां बकवाने लगे।

इनका कहना है...

फरियादी ने पिस्टल की नोंक पर मारपीट करने व जबरन साइन करवाकर चेक लेने की शिकायत की है। जिस पर चार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर ली गई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नागेंद्र सिंह सिकरवार
सीएसपी, महाराजपुरा

अतिक्रमण और नामांतरण की शिकायतों पर तत्काल अमल

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21 अप्रैल. आमजनों की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम ग्वालियर में अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर एवं मुनीश सिकरवार ने आमजनों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सिटी सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में वार्ड 35 निवासी श्री दिनेश कुमार राठौर ने आवेदन देते हुए बताया कि बाबले की पायगा क्षेत्र में अमृत योजना के तहत डाली गई पेयजल लाइन में पानी नहीं आ रहा है। आवेदक ने पेयजल लाइन चालू कराये जाने के संबंध में, वार्ड 18 बीएसएफ कॉलोनी महाराजपुरा निवासी रिटा. ब्रिगेडियर श्री जे मत्ता ने बताया कि मुख्य मार्ग पर भवन निर्माण सामग्री और मलवा डालने से

ननि के अपर आयुक्त सिकरवार एवं तोमर ने सुनी समस्याएं

सीवर ओवरफ्लो की समस्या हो रही है, आवेदक ने उचित समाधान के संबंध में, वार्ड 24 सुरेश नगर थाटीपुर के निवासी गणों ने आवेदन देते हुए बताया कि तिकोनिया पार्क देवी मंदिर क्षेत्र सुरेश नगर में बरसात के समय जल भराव होने से आमजन को काफी समस्या उत्पन्न होती है, आवेदकों ने उचित कार्यवाही के संबंध संबंध सहित अन्य आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त ने कुछ समस्याओ का निराकरण त्वरित करते हुए बांकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण, सफाई, विद्युत, आवास, सीवर सफाई, नामांतरण आदि से संबंधित 21 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अपर आयुक्त ने दिए।

कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर छात्र हासिल करें अपने लक्ष्य

पांच दिवसीय आईडीई बूटकैम्प का दूसरा दिन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21अप्रैल. माधव प्रौद्योगिकी तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर में आयोजित पांच दिवसीय आईडीई (नवाचार, डिजाइन और उद्यमिता) बूटकैम्प के दूसरे दिन का शुभारंभ उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। देशभर से आए 194 प्रतिभागी छात्र इस कार्यक्रम में नवाचार और उद्यमिता की विभिन्न बारीकियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

दिन के प्रथम सत्र में विशिष्ट अतिथि एवं मास्टर ट्रेनर गौरी गोपीनाथ ने बी2बी और बी2सी व्यापार मॉडलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से जटिल अवधारणाओं

को सरल रूप में प्रस्तुत किया, जिससे छात्र विषय को सहजता से समझ सके। सत्र के दौरान छात्रों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने प्रश्न भी रखे, जिससे चर्चा और अधिक प्रभावी रही।

इसके पश्चात आयोजित 'संवाद सत्र' में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर डॉ. विनय सिंह (आईआईटी कानपुर), युवा उद्यमी एवं 'स्टॉक्सवाला' के संस्थापक यश पाराशर, फिनरा सॉल्यूशंस के सह-संस्थापक गिरिराज शर्मा, कॉमन स्कूल के संस्थापक कृष्णकांत चतुर्वेदी तथा एमआईटीएस-डीयू के डीन स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन डॉ. आर. एस. जादौन उपस्थित रहे। सत्र का समन्वयन डॉ. सी. एस. मालवी डीन, इनोवेशन, एमआईटीएस-डीयू ने किया। विशेषज्ञों ने छात्रों को प्रभावी आइडिया प्रेजेंटेशन, उद्यमिता से जुड़ी भ्रांतियों के निराकरण तथा स्टार्टअप की कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। सत्र के अंत में डॉ. मालवी ने छात्रों को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया।

दोपहर के अन्य सत्र में गौरी गोपीनाथ ने मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर पर्सोना तथा यूनिक वैल्यू प्रपोज़िशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे ज़ोमैटो, स्विगी और ज़ेप्टो सहित ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के उदाहरण देकर बाज़ार की आवश्यकताओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके बाद शाम के सत्र में मास्टर ट्रेनर तेजस जाधव ने लीन कैनवास, लागत संरचना और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से संबंधित पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रत्येक सत्र के पश्चात 15 से 30 मिनट का प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को अपने विचार साझा करने, शंकाओं का समाधान प्राप्त करने तथा अपने स्टार्टअप विचारों की व्यवहार्यता पर चर्चा करने का अवसर मिला। इन सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को व्यवसाय, स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़ी आवश्यक जानकारियों के साथ-साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. प्रत्येश जायसवाल डीन, प्लानिंग द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर एआईसीटीई के क्षेत्रीय सलाहकार सौरभ निरमले एवं मास्टर ट्रेनर तेजस जाधव भी उपस्थित रहे।

सीवर लाइन सफाई में लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री नाराज

ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21 अप्रैल. शहर की सीवर व्यवस्था की वस्तुस्थिति जानने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वैश्य गार्डन तानसेन नगर एलिवेटेड रोड के पास, मोहिते गार्डन के पास के नाले का, गैंडे वाली सड़क एवं शिंदे की छावनी रोड का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव, श्री प्रदीप तोमर, एसडीएम श्री नरेश बाबू यादव सहित पुलिस प्रशासन एवं निगम के अधिकारी तथा क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान गैंडे वाली सड़क पर सीवर लाइन भरी हुई पाई जाने एवं आसपास गंदगी मिलने पर ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने

कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीवर लाइन की समय पर और सही तरीके से सफाई नहीं करने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई गेंडे वाली सड़क पर नाले काफी सकरा बना होने और ऊपर से पटा होने के कारण नाला हमेशा जाम रहने की शिकायत स्थानीय नागरिकों द्वारा ऊर्जा मंत्री श्री तोमर से की गई। जिस पर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पर काफी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिए कि पटे हुए नाले को कम कम दूरी पर काटकर जाली लगायें जिससे नाले की प्रोपर सफाई हो सके।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने तानसेन नगर स्थित वैश्य गार्डन के पास स्वर्ण रेखा नाले का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि स्वर्ण रेखा नाले से निकली सिवर लाइन की सफाई करायें तथा जहां डेमेज है उसको ठीक करायें। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन भरी नहीं होनी चाहिए। अभियान चलाकर सफाई करायें।

श्रमिकों के नियोजन से पूर्व पंजीयन अनिवार्य

उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्यवाही,कलेक्टर ने सभी विभागों, निगमों एवं संस्थाओं को दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 21 अप्रैल. ग्वालियर जिले में संचालित समस्त शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों में श्रम कानूनों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करें। विशेष रूप से निर्माण कार्य एवं अन्य सेवाओं में संलग्न ठेका श्रमिकों के नियोजन से पूर्व संबंधित संस्थाओं को संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अंतर्गत प्रिंसिपल इम्प्लोयर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता, 2020 की धारा 47 से 50 के प्रावधानों के अनुसार ठेका श्रमिकों के नियोजन एवं पंजीयन से संबंधित नियमों का पालन भी अनिवार्य किया गया है। स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन नहीं किया जाए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए क्षेत्रीय श्रम कार्यालय, ग्वालियर से संपर्क किया जा सकता है। इस आशय की जानकारी सहायक श्रम आयुक्त सुश्री नम्रता सोनी द्वारा दी गई है।

आदित्य वाहिनी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा पर पूजन किया

ग्वालियर.आदि शंकराचार्य जयंती पर आदित्य वाहिनी ग्वालियर द्वारा जलविहार स्थित इटालियन गार्डन में स्थापित भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा पर पूजन एवं माल्यार्पण किया गया। उनकी जयंती के अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन, दर्शन एवं सनातन धर्म के प्रति उनके महान योगदान को स्मरण किया। आदित्य वाहिनी ग्वालियर सह प्रमुख डॉ वैभव शुक्ला ने बताया कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। आदि शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, उन्होंने भारत वर्ष में भ्रमण कर संपूर्ण हिंदू समाज को एक किया , एवं भारत के चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की एवं चार धाम, एवं ज्योतिर्लिंगों का भी पुनरुद्धार किया। कार्यक्रम में पंडित आशुतोष शर्मा गुरुदास ने विधि विधान से शंकराचार्य का पूजन किया एवं शंकराचार्य की स्तुति का गायन किया।

तत्पश्चात आरती एवं प्रसाद वितरण हुआं। एवं सभी ने जलपान ग्रहण किया। सभी में हर्ष और उल्लास के साथ भक्ति भावमय वातावरण निर्मित हुआ। आदित्य वाहिनी ग्वालियर, पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग द्वारा स्थापित संस्था है, जो युवाओं के मध्य धर्म जागरण, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्र चेतना का कार्य करती है।

बालगृह से भागे दूसरे बालक को भी पुलिस ने मुरैना से किया बरामद

ग्वालियर । गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चलाए जा रहे विशेष 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत महाराजपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आदित्यपुरम स्थित बालगृह से भागे दूसरे नाबालिग बालक को मुरैना जिले के बामौर से सकुशल बरामद कर लिया है। बीती 14 जनवरी को आदित्यपुरम बालगृह से दो बालक (विक्की और सुनील - परिवर्तित नाम) बिना बताए कहीं चले गए थे। फरियादी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट पर थाना महाराजपुरा में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पहले बालक विक्की को पूर्व में ही 6 अप्रैल को ढूंढ लिया था, जबकि दूसरा बालक सुनील तब से लापता था।

तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से बालक की तलाश की गई,थाना प्रभारी निरीक्षक यशवंत गोयल की टीम ने आज सुनील को उसकी बुआ के घर बामौर से बरामद किया। पूछताछ में बालक ने बताया कि वह अपनी मर्जी से मथुरा और दिल्ली घूमने गया था और बाद में बुआ के घर चला गया।

स्वच्छता संवाद फूलबाग चिड़ियाघर के पास आज

ग्वालियर. स्वच्छता में सभी की सहभागिता हो इसके लिए नगर निगम ग्वालियर द्वारा देश का सबसे बड़ा स्वच्छता संवाद आयोजित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 22 अप्रैल को सायं 5 बजे से फूल बाग चिड़ियाघर के पास स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नगन निगम ग्वालियर द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद, व्यापारी, सामाजिक संगठन, महिला, युवा सहित विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होगें और अपने शहर ग्वालियर को स्वच्छता में अव्वल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर संवाद करेगें।

आँगनबाड़ी की कार्यप्रणाली पर कैग की रिपोर्ट होगी पेश

ग्वालियर 21 अप्रैल. देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य के आंगनबाड़ी के स्थापना एवं कार्यप्रणाली पर तैयार रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी. महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर के उपमहालेखाकार प्रशासन महेश प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि इस रिपोर्ट में कामकाजी महिला गृह एवं बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर भी निष्कर्ष दिये गये हैं. यह रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग पर निष्पादन लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम का लेखा-जोखा है. कैग की रिपोर्ट को राज्यपाल के प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त को सौंपा गया है। जिसे राज्यपाल द्वारा विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.

नवम्बर का वेतन भुगतान कराने जे डी एवं डीईओ ग्वालियर को दिया ज्ञापन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21अप्रैल. अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ग्वालियर के द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के आदेश के सन्दर्भ में ग्वालियर जिले के शिक्षकों का माह नवम्बर 2025 के रोके हुए वेतन का भुगतान कराने की माँग को लेकर संयुक्त संचालक लोकशिक्षण ग्वालियर एवं जिला शिक्षा अधिकारी

ग्वालियर को ज्ञापन सौंपा

इस अवसर पर अरविन्द दीक्षित शा. मा. वि. मुगलपुरा मुरार, लक्ष्मी नारायण जाटव, मा.शि.शा.मा.वि.ओडपुरा घाटीगाँव, प्रत्यूष सिंह बैस मा. शि. शास. हाईस्कूल बरेठा मुरार, गीता भोला शास. हाईस्कूल जमाहर मुरार, रेखा रानी प्रा. शि. शा. प्रा.वि. भदरौली, मुरार , अर्चना चौरसिया शाउमावि बहादुरपुर मुरार, कौशल्या बघेल माध्यमिक शिक्षक शा.हाईस्कूल पारसेन , अर्चना राजपूत मा.शि.शा.मा. विद्यालय धनेली मुरार , राजकुमार दोहरे मा. शि.शा.मा.विद्यालय बिजौली मुरार, रश्मि सकतौलिया प्रा. शि. शाप्रावि होतम सिंह का पुरा घाटीगांव, कल्पना गौतम प्रा. शि. शाप्रावि भदरौली मुरार, सीमा दोहरे प्रा. शि. शा प्रा वि दीक्षित का पुरा मुरार , सुमलता शाक्य प्रा.शि.शा. प्रा. वि. लक्ष्मणगढ़ मुरार, गीता कौशल प्रा.शि.शा. प्रा.वि. खेरिया केसर मुरार,आदि उपस्थित रहें।

गिरती बूंदों को सहेजने का दृश्य बनाया, सूखे और हरियाली के बीच के अंतर को किया स्पष्ट

नन्हे चित्रकारों ने कैनवास पर उकेरी जल संरक्षण की महत्ता,बच्चों ने दिखाई प्रतिभा,लायंस क्लब आर्यन ने होनहारों को किया सम्मानित

संजीव कुमार शर्मा

ग्वालियर 21अप्रैल. पर्यावरण के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करना और जल की हर बूंद की कीमत समझाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था इंटरनेशनल लायंस क्लब आर्यन प्रांत 3233-ई-1 ने सिटी सेंटर स्थित पाम रेसिडेंसी में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का विषय 'जल संरक्षण' रखा गया था। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी तूलिका के माध्यम से पानी बचाने के संदेश को बेहद खूबसूरती से कागज़ पर उतारा। किसी बच्चे ने गिरती बूंदों को सहेजने का दृश्य बनाया, तो किसी ने सूखे और हरियाली के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। बच्चों के उत्साह ने मौजूद अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की कल्पना जैन, डॉ. मीरा जैन और गीता शर्मा की मुख्य भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान पाम रेसिडेंसी के अनेक गणमान्य नागरिक और क्लब के सदस्य उपस्थित रहे।

स्वालपहार और आनंद का माहौल

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों और बच्चों के लिए स्वादिष्ट स्वालपहार का प्रबंध किया गया। बच्चों को फल स्वरूप केले बांटे गए। गीता शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब भविष्य में भी इस प्रकार के रचनात्मक और सामाजिक जागरूकता वाले आयोजन करता रहेगा।

सम्मान और पुरस्कार वितरण: प्रतियोगिता के समापन पर बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्लब की ओर से विशेष पहल की गई। सभी प्रतिभागी बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।

किसने क्या कहा...

संस्था की अध्यक्ष लायन किरण सोनी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा ? 'आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। यदि हम इन्हें आज से ही जल की महत्ता समझाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। इन बच्चों की कला में जो गहराई दिखी, वह वाकई सराहनीय है। हमारा उद्देश्य केवल प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि बच्चों के मन में जल के प्रति संवेदनशीलता जगाना था। छोटे-छोटे हाथों से बनाई गई ये पेंटिंग्स इस बात का प्रमाण हैं कि नई पीढ़ी पर्यावरण को लेकर हमसे कहीं अधिक जागरूक है। लायंस क्लब आर्यन समाज सुधार के ऐसे प्रयास निरंतर जारी रखेगा।

किरण सोनी अध्यक्ष

बच्चों की सृजनात्मकता को मंच देना क्लब की प्राथमिकता रही है। पाम रेसिडेंसी के निवासियों ने जिस तरह से इस आयोजन में सहयोग दिया, वह सराहनीय है। सभी बच्चों को मेडल देकर सम्मानित करने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि हर बच्चा खुद को विजेता महसूस करे और भविष्य के लिए प्रोत्साहित हो।

कल्पना जैन,कोषाध्यक्ष

कला एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके जरिए कठिन से कठिन संदेश भी आसानी से दिया जा सकता है। 'जल संरक्षण' आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन नन्हे चित्रकारों ने अपनी तूलिका से यह बता दिया है कि यदि अभी नहीं संभले, तो भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा।

डॉ . मीरा जैन, फाउंडर

एक सफल आयोजन के पीछे टीम भावना और सामूहिक प्रयास होता है। आज पाम रेसिडेंसी में बच्चों और सदस्यों का जो उत्साह दिखा, उसने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। हम आगे भी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

गीता शर्मा

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

(द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), हेड पोस्ट ऑफिस के पास, रेजीडेंसी रोड, जबलपुर (म.प्र.) - 482001 (क्षेत्राधिकार: मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम 2A के साथ पठित

O.A.: 492/2025

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम श्री सांवरिया बेकर्स

समाचार पत्र प्रकाशन

बैंक ऑफ बड़ौदा, एक निगमित निकाय तथा बैंकिंग कंपनी है, जिसका गठन Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 के अंतर्गत हुआ है। जिसका मुख्य कार्यालय मंडवी, बड़ौदा में स्थित है तथा इसकी अन्य शाखाओं में से एक नया बाजार, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में स्थित है।

बनाम

1. **एम/एस श्री सांवरिया बेकर्स स्वामी: निक्की बंसल,** पंजीकृत कार्यालय का पता - मकान नंबर 33, दही मंडी, दौलतगंज, गिर्द-लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन - 474001
2. **निक्की बंसल पिता: श्री प्रेमनारायण शिवहरे,** निवासी - मकान नंबर 33, दही मंडी, दौलतगंज, गिर्द-लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन - 474001
3. **नितिन बंसल पिता,** निवासी - मकान नंबर 33, दही मंडी, दौलतगंज, गिर्द-लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन - 474001

जबकि, OA संख्या 492/2025 माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 11/06/2025 को सूचीबद्ध की गई थी। और जबकि, माननीय अधिकरण ने अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर आपको समन/नोटिस जारी करना उचित समझा है। यह आवेदन आपके विरुद्ध Rs. 25,62,891.14/- तथा उस पर ब्याज और व्यय की वसूली के लिए दायर किया गया है। आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न हैं। अतः अधिनियम की धारा 19(4) के अनुसार आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:

1 समन की तामील की तिथि से **30 (तीस) दिनों के भीतर** यह कारण बताएं कि आवेदन में मांगी गई राहत क्यों न प्रदान की जाए।

2. मूल आवेदन के क्रमांक 3A में आवेदक द्वारा उल्लिखित संपत्तियों के अतिरिक्त, अपनी अन्य सभी संपत्तियों/आस्तियों का विवरण प्रस्तुत करें, जब तक कि संपत्ति कुर्की हेतु आवेदन का निस्तारण न हो जाए।

3. मूल आवेदन के क्रमांक 3A में वर्णित या प्रकट की गई सुरक्षित संपत्तियों अथवा अन्य संपत्तियों का न तो निपटान करेंगे और न ही उनसे किसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, जब तक कि संपत्ति कुर्की संबंधी आवेदन का निस्तारण न हो जाए।

4. न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, आप अपनी किसी भी सुरक्षित संपत्ति अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A में वर्णित/प्रकट संपत्तियों को सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अतिरिक्त विक्रय, **पट्टे अथवा किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेंगे।**

5. सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त बिक्री राशि उस बैंक/वित्तीय संस्था के खाते में जमा करेंगे, जिसके पास उन संपत्तियों पर सुरक्षा हित है।

6. आप अपना **लिखित बयान** प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएंगे और दिनांक 28/04/2026 को प्रातः 11:00 बजे माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे। ऐसा न करने की स्थिति में, आवेदन की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में कर ली जाएगी और निर्णय पारित किया जाएगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर सहित, आज दिनांक 11/03/2026 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा सिटी सेंटर, ग्वालियर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., सिटी सेंटर से मुद्रित. संपादक हरीश दुबे* समाचार संपादक- अनिल शर्मा, फोन-0751-4086200, फैक्स- 2343200 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार डाक पंजीयन क्रमांक 507/2008/ग्वा. RNI Reg. No. 62237/95